उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय,लखनऊ।

पत्रांक–25507/स्थापना/2020–21 दिनांक– 23.04.2020

समस्त क्षेत्रीय/वरिष्ठ/शाखा प्रबन्धक,
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

आप भली–भाँति अवगत हैं कि कोविड–19 के कारण शाखाओं का कार्य प्रभावित हो रहा है तथा वसूली भी अपेक्षानुसार नहीं हो पा रही है। शासन स्तर द्वारा लॉकडाउन में दिनांक 20.04.2020 से कुछ शिथिलता प्रदान की गयी है। अतः वे सभी जिले जहाँ लॉकडाउन में शिथिलता प्रदान की गयी है, की सभी शाखाएँ नियमानुसार समय पर खोली जाएँ तथा शाखा का सामान्य कार्य सुचारु रुप से सम्पादित किया जाए। इन सभी शाखाओं में सोशल डिस्टैन्सिंग के नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्मिकों की सुरक्षा हेतु मास्क पहनना अनिवार्य किया जाए तथा सैनिटाइजर इत्यादि की उचित व्यवस्था की जाए। सभी कार्मिक केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करें तथा आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल फोन में अवश्य डाउनलोड करें।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि कार्मिकों द्वारा सोशल मीडिया का प्रयोग अतिरिक्त सतर्कता के साथ किया जाए तथा अफवाहों इत्यादि के प्रसार में भागीदार न बना जाए।

आपके द्वारा इस अवधि में बैंक हित में किये गये प्रयास अति महत्त्वपूर्ण होंगे। अतः बैंक की वसूली को बढ़ाने का यथासम्भव प्रयास करते हुए इच्छुक कृषकों से बकाया धनराशि जमा करवा उन्हें ओ0टी0एस0 का लाभ दिलाएँ तथा स्वयं को सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग–4 संख्या–7/2020/315/सामान्य–क–4–2020 लखनऊ दिनांक–17.04.2020 के कार्यालय ज्ञाप में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए बैंक के ऋणी सदस्यों को कोविड–19 से बचाव हेतु जागरुक करें।

अशोक कुमार सिंह
(प्रबन्ध निदेशक)